

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937

No. 10]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/ PAUSA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2016

सा.का.नि.10(अ).—विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 37 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील), दिल्ली, आयुक्त, सीमा शुल्क (अपील), मुंबई-I, आयुक्त सीमा शुल्क (अपील), कोलकाता और आयुक्त सीमा शुल्क (अपील-I), चेन्नई को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

[फा. सं.ए-12011/02/2014-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department on Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2016

G.S.R.10 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 37A of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby appoints the Commissioner of Customs (Appeals), Delhi, Commissioner of Customs (Appeals), Mumbai-I, Commissioner of Customs (Appeals), Kolkata and Commissioner of Customs (Appeals-I), Chennai to be a Competent Authority under the said Act.

[F. No. A-12011/02/2014-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.